बाद अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर मुकदमा
केवारसिंह बनाम किशोर सिंह आदि
किस्म मुकदमा धारा 25(ए) सं. 21 सन् 2018.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.03.18. | वकील प्रार्थी हाजिर। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 27-04-2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर) | 781-835 / 02-04-18 |
| 27.04.18 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 08.06.18 को पेश हो। | 2202-56 / 02-05-18 |
| 08.06.18 | पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बिराणिया पर पेश हुई। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 25(ए) की श्रेणी में नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (रेखा मीणा) अध्यक्ष लोक अदालत फतेहपुर शेखावाटी उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर (राज.) | 4001 / 08-06-18 |